VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS

+918988885050
+918988886060

www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS
(आज का विश्लेषण)
(13 December 2024)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'एक देश एक चुनाव' संबंधी विधेयक को मंजूरी दी
- पेरिस समझौते को अपनाने के नौ वर्ष बाद, एक आलोचनात्मक मूल्यांकन
- गूगल का AI मॉडल 'GenCast' पारंपरिक मौसम पूर्वानुमान मॉडल से बेहतर
- MCQ

ADDRESS:
19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'एक देश एक चुनाव' संबंधी विधेयक को मंजूरी दी:

चर्चा में क्यों है?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 दिसंबर, 2024 को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने से संबंधित दो विधेयकों को मंजूरी दे दी, जिससे संसद के चालू शीतकालीन सत्र में मसौदा विधेयकों को पेश करने का रास्ता साफ हो गया।
- इनमें से एक विधेयक एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन करने से संबंधित है, जबकि दूसरा विधेयक विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कानूनों के प्रावधानों में संशोधन करने से संबंधित है ताकि उनकी शर्तों को अन्य विधानसभाओं के साथ संरेखित किया जा सके।
- सरकार इन विधेयकों पर व्यापक विचार-विमर्श करने की इच्छुक है, इन्हें संसदीय समिति को भेजे जाने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि सरकार समिति के

माध्यम से विभिन्न राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों से भी परामर्श करने की इच्छुक है।

प्रस्तावित विधेयकों के संभावित प्रमुख प्रावधान:

एक संविधान संशोधन विधेयक:

- 'एक देश एक चुनाव' पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों का हवाला देते हुए, प्रस्तावित विधेयकों में से एक लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक नियत तिथि से संबंधित उपखंड को अनुच्छेद 82A में जोड़कर संशोधन करने की मांग की जाएगी। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल की समाप्ति से संबंधित अनुच्छेद 82A में उपखंड (2) को शामिल करने की भी मांग की जाएगी।
- इसमें अनुच्छेद 83(2) में संशोधन करने और लोकसभा की अवधि और विघटन से संबंधित नए उपखंड को शामिल करने का भी प्रस्ताव है। इसमें विधानसभाओं के विघटन और एक साथ चुनाव कराने की अवधि को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 327 में संशोधन करने से संबंधित प्रावधान भी हैं।
- इस विधेयक को कम से कम 50 प्रतिशत राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी, सिफारिश में कहा गया है।

एक साधारण विधेयक:

- एक अन्य विधेयक एक साधारण विधेयक होगा जो विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों - पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू और कश्मीर - से संबंधित तीन कानूनों के प्रावधानों में संशोधन करेगा ताकि इन सदनों की शर्तों को अन्य विधानसभाओं और लोकसभा के साथ संरेखित किया जा सके जैसा कि पहले संविधान संशोधन विधेयक में प्रस्तावित है।
- जिन कानूनों में संशोधन करने का प्रस्ताव है वे हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम-1991, केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम-1963 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम-2019।
- प्रस्तावित विधेयक एक साधारण कानून होगा जिसके लिए संविधान में बदलाव की आवश्यकता नहीं होगी और राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की भी आवश्यकता नहीं होगी।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर कोविन्द पैनल रिपोर्ट:

- कोविन्द समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक ही समय पर होने चाहिए और इसके बाद, स्थानीय निकायों के चुनाव भी इस तरह "सिंक्रनाइज़" होने चाहिए कि वे राज्य और राष्ट्रीय चुनावों के 100 दिनों के भीतर एक साथ आयोजित किए जायें।

- समिति ने अपनी सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए भारत के संविधान में 15 संशोधनों का सुझाव दिया है - नए प्रावधानों और मौजूदा प्रावधानों में बदलाव दोनों के रूप में - जिन्हें दो संविधान संशोधन विधेयकों के माध्यम से किया जाना होगा।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का सिद्धांत क्या है?

- एक साथ चुनाव, जिसे लोकप्रिय रूप से "एक राष्ट्र, एक चुनाव" कहा जाता है, का अर्थ है एक ही समय में लोकसभा, सभी राज्य विधान सभाओं और शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं और पंचायतों) के चुनाव कराना।
- वर्तमान में, ये सभी चुनाव प्रत्येक व्यक्तिगत निर्वाचित निकाय की शर्तों द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन करते हुए एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से आयोजित किए जाते हैं।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की आवश्यकता क्यों है?

- बार-बार चुनाव होने से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त खर्च का बोझ पड़ता है। अगर राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले खर्च को भी जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़े और भी ज्यादा होंगे।

- बार-बार चुनाव अनिश्चितता और अस्थिरता का कारण बनते हैं, आपूर्ति श्रृंखला, व्यापार, निवेश और आर्थिक विकास को विफल करते हैं।
- बार-बार चुनाव के कारण सरकारी तंत्र में व्यवधान से नागरिकों को कठिनाई होती है। सरकारी अधिकारियों और सुरक्षाबलों का बार-बार चुनावों में उपयोग उनके कर्तव्यों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
- आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) को बार-बार लागू करने से 'नीतिगत पंगुता' हो जाती है और विकास कार्यक्रमों की गति धीमी हो जाती है।
- बार-बार चुनाव, 'मतदाता थकान' को बढ़ाकर उनकी काम भागीदारी सुनिश्चित करने वाला एक महत्वपूर्ण चुनौती, 'मतदाता उदासीनता' पेश करते हैं।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के विरुद्ध तर्क:

- इस विचार के ख़िलाफ़ मुख्य तर्क यह है कि यह क्षेत्रीय और स्थानीय चिंताओं को हाशिये पर धकेल देगा। एक साथ होने वाले चुनावों में, स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के बड़े मुद्दों से दब जायेंगे।
- इससे राजनीतिक विमर्श में एकरूपता आएगी और छोटी पार्टियों और राज्यों के लिए अपने विचार देश के सामने रखना मुश्किल हो जाएगा।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के प्रावधान को हटाए या बदले बिना एक साथ चुनाव लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि सरकार के अचानक गिरने से असामयिक चुनाव होंगे।
- इसके अलावा, अलग-अलग समय पर चुनाव लोगों को राजनेताओं को जवाबदेह बनाने में मदद करते हैं।
- अन्य तर्क यह है कि चुनाव की ऊंची लागत को कम करना लोकतांत्रिक विमर्श को कमजोर करने का कारण नहीं हो सकता।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

पेरिस समझौते को अपनाने के नौ वर्ष बाद, एक आलोचनात्मक मूल्यांकन:

परिचय:

- पेरिस समझौते का उद्देश्य दुनिया को जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों से बचाना था। लेकिन 12 दिसंबर, 2015 को इसे अंतिम रूप दिए जाने के नौ साल बाद, आज शायद यह पहले से कहीं ज़्यादा कमज़ोर है, तेजी से बिगड़ती जलवायु स्थिति को नियंत्रित करने में यह लगातार अप्रभावी और असहाय दिखाई दे रहा है।
- संधि के प्रति बढ़ती निराशा के स्पष्ट संकेत में, छोटे द्वीप राष्ट्रों के नेतृत्व में कई विकासशील देशों ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिक प्रभावी लड़ाई के लिए वैकल्पिक तरीकों की खोज शुरू कर दी है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय वर्तमान में एक मामले की सुनवाई कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन पर देशों के दायित्वों और उन दायित्वों से उत्पन्न होने वाले परिणामों को परिभाषित करने का प्रयास करता है।

पेरिस समझौते के बाद जलवायु परिवर्तन की वस्तुस्थिति:

- इन नौ सालों में, वार्षिक वैश्विक उत्सर्जन लगभग 49 बिलियन टन CO2 से 8% बढ़कर 53 बिलियन टन हो गया है।
- औसत वार्षिक वैश्विक तापमान पूर्व-औद्योगिक औसत से 1.1 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर उस स्तर से 1.45 डिग्री सेल्सियस ऊपर हो गया है। और, नवीनतम आकलन बताते हैं कि 2024 लगभग निश्चित रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने वाला पहला वर्ष होगा।
- पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य - वैश्विक वार्षिक औसत तापमान को पूर्व-औद्योगिक औसत के 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर रखना, सबसे खराब स्थिति में दो डिग्री सेल्सियस - पहले से कहीं ज्यादा दूर लगता है।

पेरिस समझौता (2015):

- जलवायु परिवर्तन और इसके नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए, पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP21) में विश्व नेताओं ने 12 दिसंबर 2015 को ऐतिहासिक पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ। आज, 195 पक्षकार पेरिस समझौते में शामिल हो चुके हैं।

निम्नलिखित दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करता है:

- वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को काफी हद तक कम करना ताकि वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2°C से नीचे रखा जा सके और इसे पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.5°C तक सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाना;
- समय-समय पर इस समझौते के उद्देश्य और इसके दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सामूहिक प्रगति का आकलन करना;
- जलवायु परिवर्तन को कम करने, लचीलापन मजबूत करने और जलवायु प्रभावों के अनुकूल होने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विकासशील देशों को वित्तपोषण प्रदान करना।

पेरिस समझौते द्वारा जलवायु परिवर्तन को लेकर दिशा में बदलाव:

- पेरिस समझौते से पहले, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया था। उल्लेखनीय है कि 1992 के जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) में निहित समानता और विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, क्योटो प्रोटोकॉल ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अधिकांश दायित्व अमीर और विकसित देशों पर डाल दिए, जबकि विकासशील देशों से उनकी संबंधित क्षमताओं के अनुसार योगदान करने के लिए कहा।

- लेकिन चीन की बढ़ती आर्थिक शक्ति से घबराए हुए और जलवायु दायित्वों द्वारा अपनी अर्थव्यवस्थाओं पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों से भयभीत, विकसित देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल को खत्म करने के लिए कड़ी मेहनत की।
- हर किसी से योगदान लेने की आड़ में, पेरिस समझौते ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया।
- क्योटो प्रोटोकॉल ने विकसित देशों को विशिष्ट उत्सर्जन कटौती लक्ष्य सौंपे थे, लेकिन बाकी दुनिया पर लगभग कोई जिम्मेदारी नहीं डाली। पेरिस समझौते ने सभी को जलवायु कार्रवाई करने के लिए बाध्य किया, लेकिन केवल ***"राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित (NDC)"*** तरीके से, अनिवार्य रूप से विकसित देशों को उनकी सौंपी गई जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया।
- वर्तमान में हर देश अपनी पेरिस प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए केवल न्यूनतम प्रयास कर रहा है, वैश्विक जलवायु कार्रवाई अब ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित रखने के लिए आवश्यक उत्सर्जन कटौती के साथ संरेखित नहीं है।

जलवायु परिवर्तन की वैश्विक लड़ाई का धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ना:

- उल्लेखनीय है कि पेरिस समझौते में शामिल प्रावधानों को भी विकसित देशों के हितों के अनुरूप धीरे-धीरे वर्षों से कमजोर किया जा रहा है। इस साल बाकू में हुए वित्तीय समझौते से अधिक बेहतर तरीके से कुछ और नहीं समझा जा सकता है।

- ध्यातव्य है कि UNFCCC के कानूनी दायित्व के तहत विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करने के लिए विकासशील देशों को वित्त और प्रौद्योगिकी प्रदान करनी चाहिए। विकसित देशों ने खुद 2020 से इस उद्देश्य के लिए सालाना 100 अरब डॉलर जुटाने का वादा किया था। पेरिस समझौते में 2025 के बाद इस राशि को बढ़ाने का प्रावधान है। कई आकलनों से पता चला है कि विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाई के लिए सालाना खरबों डॉलर की ज़रूरत है।
- हालांकि, बाकू में, विकसित देशों ने 100 अरब डॉलर की राशि को बढ़ाकर सिर्फ़ 300 अरब डॉलर प्रति वर्ष करने पर सहमति जताई, और वह भी सिर्फ 2035 से। ऐसे में पर्याप्त वित्त की कमी विकासशील देशों से अधिक महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई की किसी भी उम्मीद को लगभग खत्म कर देती है।

पेरिस समझौते पर भरोसा कम होता जा रहा है:

- अगले साल डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में वापस आने के साथ ही, अमेरिका का पेरिस समझौते से एक बार फिर बाहर निकलना लगभग तय है। सामान्य तौर पर, पेरिस समझौते पर भरोसा कम होता जा रहा है, खास तौर पर उन देशों में जो जलवायु प्रभावों से सबसे ज़्यादा ख़तरे में हैं।

- यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्व में एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र वानुअतु ने पिछले साल संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित करवाने के लिए समान स्थिति वाले देशों को प्रेरित किया, जिसमें ICJ से सलाह मांगी गई कि देशों के जलवायु दायित्व क्या हैं।
- ICJ से न केवल UNFCCC और इसकी दो संधियों, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते द्वारा प्रस्तुत मौजूदा जलवायु-विशिष्ट कानूनी व्यवस्थाओं पर अपना मूल्यांकन करने के लिए कहा गया था, बल्कि मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आलोक में भी अपना मूल्यांकन करने के लिए कहा गया था।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

गूगल का AI मॉडल 'GenCast' पारंपरिक मौसम पूर्वानुमान मॉडल से बेहतर:

चर्चा में क्यों है?

- गूगल डीपमाइंड ने अपनी तरह का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मौसम पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया है जो वर्तमान में उपयोग में आने वाली सर्वश्रेष्ठ प्रणाली की तुलना में मौसम की अधिक सटीक भविष्यवाणी करता है। यह मॉडल 15 दिन पहले तक पूर्वानुमान तैयार करता है - और यह आज के पूर्वानुमान कार्यक्रमों के लिए आवश्यक घंटों की बजाय मिनटों में ऐसा करता है।
- नेचर में प्रकाशित अध्ययन से पता चलता है कि GenCast यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम-रेंज वेदर फोरकास्ट ऑफ़ एनसेंबल मॉडल (ECMWF) के चार दशकों के डेटा के माध्यम से अपनी भविष्यवाणी तैयार करता है।

दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मौसम पूर्वानुमान मॉडल से बेहतर:

- शोधकर्ताओं के अनुसार, यह AI सिस्टम तूफान और हीटवेव जैसे चरम मौसम की भविष्यवाणी करने में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मध्यम-श्रेणी के परिचालन मॉडल, यूरोपीय मध्यम-श्रेणी मौसम पूर्वानुमान केंद्र (ECMWF) को मात देता है।
- यह सफलता AI मौसम पूर्वानुमान के युग की शुरुआत करने में मदद कर सकती है जो आज की प्रणालियों की तुलना में अधिक तेज़ और अधिक विश्वसनीय है।

GenCast: मौसम को मशीन लर्निंग के माध्यम से जानना

- पारंपरिक पूर्वानुमान, जिनमें ENS के पूर्वानुमान भी शामिल हैं, गणितीय मॉडल पर आधारित होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल को नियंत्रित करने वाले भौतिकी के नियमों का अनुकरण करते हैं। वे उपग्रहों और मौसम केंद्रों से डेटा एकत्र करने के लिए सुपरकंप्यूटर का उपयोग करते हैं - एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें घंटों और बहुत अधिक कंप्यूटिंग शक्ति लगती है।
- इसके विपरीत, जेनकास्ट को केवल ऐतिहासिक मौसम डेटा पर प्रशिक्षित किया गया है, जो सिस्टम को वायुदाब, आर्द्रता, तापमान और हवा जैसे चरों के बीच जटिल संबंधों को समझने में सक्षम बनाता है। यह इसे पूरी तरह से भौतिकी-आधारित प्रणालियों से बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों में मशीन लर्निंग का उपयोग करके मौसम पूर्वानुमान मॉडल बनाने के प्रयासों में बहुत तेजी देखी गई है। इनमें से ज्यादातर मॉडल ऐतिहासिक डेटा में पैटर्न सीखने और भविष्य का एक पूर्वानुमान बनाने के लिए न्यूरल नेटवर्क के किसी न किसी रूप का उपयोग करते हैं। हालांकि, यह दृष्टिकोण ऐसे पूर्वानुमान बनाता है जो भविष्य में आगे बढ़ने के साथ-साथ विवरण खो देते हैं, धीरे-धीरे "सरल" होते जाते हैं। यह सहजता वह नहीं है जो हम वास्तविक मौसम प्रणालियों में देखते हैं।
- Google के नवीनतम मशीन-लर्निंग मॉडल, GenCast कई पूर्वानुमानों का एक समूह बनाकर इस "सरल" प्रभाव को कम करता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्तिगत पूर्वानुमान कम "सरल" होता है, और प्रकृति में देखी गई जटिलता से बेहतर मिलता-जुलता है।
- यह संभाव्यतावादी दृष्टिकोण दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान प्रणाली, यूरोपीय मध्यम-श्रेणी मौसम पूर्वानुमान केंद्र (ECMWF), की तुलना में अधिक सटीक पूर्वानुमान बनाता है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

MCQs

1. चर्चा में रहे 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर कोविन्द पैनल रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

   1. इस समिति ने लोकसभा, राज्य विधान सभाओं और स्थानीय चुनावों को एक साथ कराने का सुझाव दिया गया है।
   2. समिति ने अपनी सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए भारत के संविधान में 15 संशोधनों का सुझाव दिया है, जिन्हें दो संविधान संशोधन विधेयकों के माध्यम से किया जाना होगा।

   उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   (a) केवल 1

   (b) केवल 2

   (c) 1 और 2 दोनों

   (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

   Ans:(b)

2. हाल ही विपक्षी दलों द्वारा 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का विरोध किया जाता है। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के विरुद्ध दिए जाने वाले तर्कों में से निम्नलिखित कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) एक साथ होने वाले चुनावों में, स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के बड़े मुद्दों से दब जायेंगे।

(b) अलग-अलग समय पर चुनाव राजनेताओं को जवाबदेह बनाने में मदद करते हैं।

(c) इससे छोटी पार्टियों और राज्यों के लिए अपने विचार देश के सामने रखना मुश्किल हो जाएगा।

(d) उपर्युक्त सभी सही हैं।

Ans:(d)

3. चर्चा में रहे AI मॉडल 'जेनकास्ट' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. गूगल का AI मॉडल जेनकास्ट को ऐतिहासिक मौसम डेटा पर प्रशिक्षित किया गया है।
2. यह यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम-रेंज वेदर फोरकास्ट ऑफ़ एनसेंबल मॉडल से प्राप्त रियलटाइम गणितीय का त्वरित अध्ययन करके अपनी भविष्यवाणी तैयार करता है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans:(a)

4. पेरिस समझौते के बाद से वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन की वस्तुस्थिति के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) औसत वार्षिक वैश्विक तापमान पूर्व-औद्योगिक औसत से बढ़कर उस स्तर से 1.45 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया है।

(b) पेरिस समझौते के बाद वार्षिक वैश्विक उत्सर्जन लगभग 8% कम हो गया है।

(c) वैश्विक वार्षिक औसत तापमान को पूर्व-औद्योगिक औसत के 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर रखना पहले से कहीं ज्यादा संभव लगता है।

(d) उपर्युक्त सभी सही हैं।

Ans:(d)

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

5. पेरिस समझौते को लेकर विश्व जनमत का भरोसा कम होने से जुड़े तथ्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में वापस आने के साथ ही, अमेरिका का पेरिस समझौते से एक बार फिर बाहर निकलना लगभग तय है।
2. संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से सलाह मांगी गई कि देशों के जलवायु दायित्व क्या है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans:(c)